छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 58/2009

1.	श्री प्रशांत जोशी, अधिवक्ता, आपापुरा जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	*प्रति अपीलार्थी*

//आदेश//

(दिनांक 23 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रशांत जोशी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 14.08.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि के बाद शुल्क की सूचना मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 08.08.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर दिनांक 18.11.23008 को आदेश पारित किया गया और अपील निरस्त की गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.12.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रति अपीलार्थी की ओर से प्राचार्य ने बताया कि दिनांक 14.08.2008 का आवेदन उन्हें दिनांक 18.08.2008 को प्राप्त हुआ था और अपीलार्थी को राशि 15820/– रूपये जमा कराने का पत्र दिनांक 17.09.2008 को जारी किया गया। जन सूचना अधिकार के अनुसार तीस दिवस की गणना करने में संसूचना प्रेषण एवं फीस की अवधि अपवर्जित की जा सकती है तथा शुल्क जमा होते ही सूचना देने तैयार थे तथा प्रति अपीलार्थी ने भी इसी आधार पर प्रथम अपील निरस्त की है। प्रथम अपील में भी अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुये थे, इसके अतिरिक्त आयोग के समक्ष द्वितीय अपील में भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में यह निर्देश दिये गये थे कि चूंकि जानकारी अत्यंत विस्तृत मॉगी गई है, अतः इस बीच आवेदक को जानकारी का निःशुल्क अवलोकन करा दिया जावे और उनसे सूची प्राप्त कर उन्हें राशि 50/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में प्राचार्य ने अंतिम सुनवाई दिनांक को बताया कि आयोग के निर्देश के बाद भी अपीलार्थी रिकार्ड का अवलोकन करने के लिए उपस्थित नहीं हुये, जिसके कारण उनसे सूची लेकर राशि 50/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क देना संभव नहीं था। अधिनियम की धारा–7(9) के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि यदि बहुत विस्तृत जानकारी हो और जिसको देने में विभाग के संसाधन विपरीत रूप से प्रभावित होते हो तो उसका अवलोकन कराया जा सकता है और उसे देने से मना किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त स्थिति में इस प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की रूचि महाविद्यालय के अधिकारियों को परेशान करने की अधिक प्रतीत होती है और जानकारी प्राप्त करने में प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी आयोग के निर्देश के बाद जानकारी का अवलोकन करने जाते और आयोग के निर्देशानुसार जानकारी प्राप्त करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अपने स्थान पर सही प्रतीत होते है और अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

3/ अतः अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त